राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषयः—आगामी विधानसभा आम चुनाव—2018 में आदर्श आचार संहिता लागू होने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र कमांक एफ.3(1)(9)प्रथम/निर्वा/2018/6834 दिनांक 05.10.2018 की छाया प्रति मय संलग्नकों (आदर्श आचार संहिता की पुस्तिका एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 464/INST/2007—PLN—I दिनांक 07.01.2017) के संलग्न कर लेख है कि कृपया विधानसभा आम चुनाव—2018 में आदर्श आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशें की पालना करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

शिखर

(शिखर अग्रवाल)
o/c **प्रमुख शासन सचिव**

मा0 केबिनेट मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव,
राजस्थान सरकार।

कमांक प.11(1)मं.म./2017,
जयपुर, दिनांकः 8/10/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु प्रेषित हैः—

1— समस्त विभागाध्यक्ष, शासन सचिवालय।
2— प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3— महानिदेशक, राज. पुलिस, जयपुर।
4— सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
5— सचिव, राजभवन, जयपुर।
6— सचिव, राज. लोक सेवा आयोग।
7— वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
8— समस्त संभागीय आयुक्त।
9— समस्त जिला कलक्टर।
10—मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र कमांक एफ.3(1)(9)प्रथम/निर्वा/2018/6834 दिनांक 05.10.2018 के कम में।

शिखर

o/c **प्रमुख शासन सचिव**

राजस्थान सरकार
<u>निर्वाचन विभाग</u>

विषयः– आगामी विधानसभा आम चुनाव, 2018 – आदर्श आचार संहिता के लागू होने के सम्बन्ध मे।

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य मे विधानसभा आम चुनाव, 2018 निकट भविष्य मे होने है। आगामी विधानसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी, जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगीं। चुनाव कार्यकम की घोषणा की सूचना आपको विभाग द्वारा दे दी जायेगी तथा समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसकी जानकारी हो जायेगी।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचार संहिता की पुस्तिका एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक **464/INST/2007-PLN-I** दिनांक 07.01.2007, जिसमे आदर्श आचार संहिता के दौरान आयोग द्वारा **DO's & DONT's** के संबंध में निर्देश दिये गये है, की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया आदर्श आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें एवं राज्य के मान्नीय केबिनेट मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिवों को भी आयोग के निर्देशों की पालना हेतु प्रतियां उपलब्ध करा देवे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(आनन्द कुमार)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रमुख शासन सचिव,
मंत्रिमण्डल, शासन सचिवालय,
जयपुर।

अ.शा.टीप संख्या एफ 3.(1)(9)प्रथम/निर्वा/2018/6834
जयपुर, दिनांक 05-10-2018

प्रतिलिपिः–समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को प्रेषित कर निवेदन है कि आचार संहिता प्रभाव मे रहने के दौरान आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

भारत निर्वाचन आयोग

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचरण संहिता

I. साधारण आचरण

(1) किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायों समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करें।

(2) जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाये, तब उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्ववत और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहये, जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्त्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकर्त्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़-मरोड़कर कही गई बातों पर आधारित हो।

(3) मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिये। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

(4) सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ

बचना चाहिये, जो निर्वाचन विधि के अधीन 'भ्रष्ट आचरण' और अपराध है जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को अभिग्रस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना, मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना।

(5) सभी राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिये कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघनरहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार का आदर करें चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कितने ही विरुद्ध क्यों न हों। व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिये उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजन करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिये।

(6) किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिये किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिये।

(7) राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों आदि में बाधायें उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें। एक राजनैतिक दल के कार्यकर्त्ताओं या शुभचिंतकों को दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने दल के परचे वितरित करके गड़बड़ी पैदा नहीं करनी चाहिये। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाना चाहिये, जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हों। एक दल द्वारा निकाले गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्त्ता द्वारा हटाये नहीं जाने चाहिये।

II. सभाएं

(1) दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिये ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने और शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक इंतजाम कर सकें।

(2) दल या अभ्यर्थी को उस दशा में पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उस स्थान पर जहां सभा करने का प्रस्ताव है, कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है यदि ऐसे आदेश लागू हों तो उनकी कड़ाई के साथ पालना किया जाना चाहिये। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित हो तो उसके लिये समय से आवेदन करना चाहिये और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(3) यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या अभ्यर्थी को सम्बद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले ही से आवेदन करना चाहिये और ऐसी अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(4) किसी सभा के आयोजकों के लिये यह अनिवार्य है कि वे सभा में विघ्न डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को चाहिये कि वे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करें।

III. जूलूस

(1) जूलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले ही यह बात तय कर लेनी चाहिये कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा। सामान्यत: कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिये।

(2) आयोजकों को चाहिये कि वे कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों

को पहले से सूचना दे दें, ताकि वे आवश्यक प्रबंध कर सकें।

(3) आयोजकों को यह पता कर लेना चाहिये कि जिन इलाकों से होकर जुलूस गुजरता है, उनमें कोई निर्बन्धात्मक आदेश तो लागू नहीं है और जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से छूट न दे दी जाये, उन निर्बन्धनों का पालना करना चाहिये।

(4) आयोजकों को जुलूस का आयोजन ऐसे ढंग से करना चाहिये, जिससे कि यातायात में कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न किये बिना जुलूस का निकलना संभव हो सके। यदि जुलूस बहुत लम्बा है तो उसे उपयुक्त लम्बाई वाले टुकड़ों में संगठित किया जाना चाहिये, ताकि सुविधाजनक अन्तरालों पर विशेषकर उन स्थानों पर जहां जुलूस को चौराहे से होकर गुजरना है, रुके हुए यातायात के लिये समय-समय पर रास्ता दिया जा सके और इस प्रकार भारी यातायात के जमाव से बचा जा सके।

(5) जुलूसों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जहां तक हो सके उन्हें सड़क की बायीं ओर रखा जाये और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिये।

(6) यदि दो या अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते से या उसके भाग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है तो, आयोजकों को चाहिये कि वे समय से काफी पूर्व आपस में सम्पर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनाएं, जिससे कि जुलूसों में टकराव न हो या यातायात को बाधा न पहुंचे। स्थानीय पुलिस की सहायता संतोषजनक इंतजाम करने के लिये सदा उपलब्ध होगी। इस प्रयोजना के लिये दलों को यथाशीघ्र पुलिस से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये।

(7) जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने के विषय में जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा, विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता है, राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक नियंत्रण रखना चाहिये।

(8) किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान में जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिये।

IV. मतदान दिवस

सभी राजनैतिक दलों औरअभ्यर्थियों को चाहिये कि वे –

(i) यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदान शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हों और मतदाताओं को इस बात की पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करें।

(ii) अपने प्राधिकृत कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र दें।

(iii) इस बात से सहमत हों कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियां सादे सफेद कागज पर होंगी और उन पर कोई प्रतीक अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा।

(iv) मतदान के दिन और उसके पूर्व के 48 घंटों के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित न करें।

(v) राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न होने दें, जिससे दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्त्ताओं और शुभचिन्तकों में आपसे में मुकाबला और तनाव न होने पाये।

(vi) यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हों। उन पर कोई पोस्टर, झण्डे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाये। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश न किये जाये और भीड़ न लगाई जाये।

(vii) मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये जाने वाले निर्बन्धनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें और वाहनों के लिये परमिट

प्राप्त कर लें और उन्हें उन वाहनों पर ऐसे इसे लगा दें जिससे ये साफ-साफ दिखाई देते रहें।

V. मतदान केन्द्र

मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

VI. प्रेक्षक

निर्वाचन आयोग प्रेक्षक नियुक्त कर रहा है। यदि निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्त्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे उसकी सूचना प्रेक्षक को दे सकते हैं।

VII. सत्ताधारी दल

सत्ताधारी दल को, चाहे वे केन्द्र में हो या संबंधित राज्य या राज्यों में हो, यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह शिकायत करने का कोई मौका न दिया जाये कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिये अपने सरकारी पद का प्रयोग किया है और विशेष रूप से –

(i) (क) मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को, निर्वाचन में निर्वाचन से संबंधित प्रचार के साथ नहीं जोड़ना चाहिये और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुए शासकीय मशीनरी अथवा कार्मिकों का प्रयोग नहीं करना चाहिये;

(ख) सरकारी विमानों, गाड़ियों सहित सरकारी वाहनों, मशीनरी और कार्मिकों का सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा; और

(ii) सत्ताधारी दल को चाहिये कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभाएं आयोजित करने और निर्वाचन के संबंध में हवाई उड़ानों के लिये हैलीपेड़ों का इस्तेमाल करने के लिये अपना एकाधिकार

न जमाएं। ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और अभ्यर्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाये, जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है।

(iii) सत्ताधारी दल या उसके अभ्यर्थियों का विश्रामगृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं होगा और ऐसे आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने के लिये अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी दल या अभ्यर्थी ऐसे आवासों का (इनके साथ संलग्न परिसरों सहित) प्रचार कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रोपेगंडा के लिये कोई सार्वजनिक सभा करने की दृष्टि से प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(iv) निर्वाचन अवधि के दौरान, राजनैतिक समाचारों तथा प्रचार की पक्षपातपूर्ण ख्याति के लिये सरकारी खर्चे से समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों से ऐसे विज्ञापनों का जारी किया जाना, सरकारी जन माध्यमों का दुरुपयोग ईमानदारी से बिल्कुल बन्द होना चाहिये, जिनमें सत्ताधारी दल के हितों को अग्रसर करने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियां दिखाई गई हों।

(v) मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किये जाते हैं, वैवेकिक निधि में से अनुदानों/अदायगियों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिये।

(vi) मंत्री और अन्य प्राधिकारी, उस समय से जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किये जाते हैं :-

(क) किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करेंगे; अथवा

(ख) (लोक सेवकों को छोड़कर) किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिये आधारशिलाएं आदि नहीं रखेंगे; या

(ग) सड़कों के निर्माण का कोई वचन नहीं देंगे, पीने के पानी की

सुविधाएं नहीं देंगे आदि या

(घ) शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी तदर्थ नियुक्ति न की जाये। जिससे सत्ताधारी दल के हित में मतदाता प्रभावित हों।

टिप्पणी :- आयोग कोई भी निर्वाचन की तारीख की घोषणा करेगा, जो ऐसे निर्वाचनों के बारे में जारी होने वाली अधिसूचना की तारीख से सामान्यत: तीन सप्ताह से अधिक नहीं होगी।

(vii) केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्री, अभ्यर्थी या मतदाता अथवा प्राधिकृत अभिकर्त्ता की अपनी हैसियत को छोड़कर किसी भी मदतान केन्द्र या गणना स्थल में प्रवेश न करें।

VIII. चुनाव घोषणापत्र के बारे में मार्गदर्शन

1. माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (सि) संख्या 21455 वर्ष 2008 एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडू सरकार और अन्य में अपने निर्णय दिनांक 5 जुलाई, 2013 में निर्वाचन आयोग को सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से विचारविमर्श कर चुनाव घोषणापत्रों की विषयवस्तु के बारे में दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु निदेशित किया है। मार्गदर्शक सिद्धान्त जिनके आधार पर ऐसे दिशा-निर्देश तैयार किये जायेंगे, जो उक्त निर्णय से उद्धृत किये जाते हैं :-

(i) यद्यपि, विधि स्पष्ट है कि चुनाव घोषणा पत्रों में वादों को लोक प्रतिनिधित्म अधिनियम की धारा 123 के अन्तर्गत 'भ्रष्ट आचरण' के रूप में अर्थ नहीं लगाया जा सकता, किन्तु फिर भी इस वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता कि किसी भी प्रकार की मुफ्त वस्तुओं के वितरण से निःसन्देह सभी लोक प्रभावित होते हैं।

(ii) निर्वाचन आयोग चुनाव लड़ने वाले दलों और अभ्यर्थियों के बीच कार्यक्षेत्र की समानता सुनिश्चित करने के लिए और यह देखने के लिए भी कि निर्वाचन प्रक्रिया की ऋजुता दुषित न हो, विगत में आदर्श आचार संहित के अधीन निर्देश जारी करता रहा है। शक्तियों का वह मुख्य स्त्रोत जिसके अधीन आयोग यह आदेश जारी करता है कि यह संविधान का अनुच्छेद 324 है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग को अज्ञापित करता है।

(iii) हमें इस तथ्य का ध्यान है कि सामान्यतया राजनैतिक दल निर्वाचन की तारीख की घोषणा से पूर्व अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं। उस परिदृश्य में, यदि निश्चित रूप से कहे तो निर्वाचन आयोग को ऐसे किसी भी कृत्य को विनियमित करने का प्राधिकार नहीं होगा जो उस तारीख की घोषणा से पूर्व किया गया हो। फिर भी इस विषय में एक अपवाद स्थिर किया जा सकता है क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र का प्रयोजन निर्वाचन प्रक्रिया से ही सीधे जुड़ा हुआ है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निदेश प्राप्त होने पर, निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के राजनैतिक दलों के साथ उनसे उक्त प्रकरण में परामर्श हेतु एक बैठक की और उनके उक्त प्रकरण पर परस्पर विरोधी अभिमतों पर गौर किया वहीं अन्य दलों का

विचार था कि ऐसे प्रस्ताव करना एक स्वस्थ लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में घोषणापत्रों में ऐसे प्रस्ताव और वायदे करना मतदाताओं के प्रति उनका अधिकार व कर्तव्य है जबकि आयोग इस दृष्टिकोण से सैद्धान्तिक रूप से सहमत है कि घोषणापत्रों की विरचना करना राजनैतिक दलों का अधिकार है वहीं यह स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन पर सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए समान कार्यक्षेत्र बनाये रखने पर कुछ वायदों और प्रस्तावों के अवांछित प्रभाव की अनदेखी भी नहीं कर सकता।

3. संविधान अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमण्डलों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निर्वाचन संचालित करने के लिए आज्ञापित करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों का सम्यक सम्मान करते हुए और राजनैतिक दलों के साथ परामर्श करने के पश्चात् आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के हित में इसके द्वारा निदेश देता है कि राजनीतिक दल और अभ्यर्थी संसद या राज्य विधानमण्डलों के किसी भी निर्वाचन के लिए चुनाव घोषणा पत्र जारी करते समय निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे :-

(i) चुनाव घोषणापत्र में संविधान में प्रतिस्थापित आदर्शों एवं सिद्धान्तों के प्रतिकूल कोई भी बात नहीं होगी और यह और कि यह आदर्श आचार संहिता के अन्य प्रावधानों के शब्दों एवं भावना के अनुरूप होगा।

(ii) संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति-निदेशक तत्व नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी अध्युपाय विरचित करने के लिए राज्य पर लागू करेगा और इसलिए चुनाव घोषणा पत्रों में ऐसे कल्याणकारी अध्युपायों के वायदे के प्रति कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तथापि राजनीतिक दलों को ऐसे वायदे करने से बचना चाहिए जिनसे निर्वाचन प्रक्रिया की ऋजुता दुषित होती हो या मतदाताओं पर उनके मताधिकार का प्रयोग करने में अनुचित प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(iii) पारदर्शिता, कार्यक्षेत्र की समानता और वायदों की विश्वसनीयता के हित में यह अपेक्षा की जाती है कि घोषणापत्र वायदों के लिए तर्क सम्मतता को भी प्रतिबिम्बित करें और इसके लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मार्गोपाय को व्यापक रूप से दर्शित करें। मतदाताओं के विश्वास की अपेक्षा केवल उन्हीं वायदों पर की जानी चाहिए जिनका पूरा किया जाना संभव है।

Fax/Speed post/Special Messenger

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

464/INST/2007-PLN-I Dated: 07.01.07

To,

Chief Secretary, of States and UTs

Chief Electoral Officer of States and UTs

SUB: - **CODE OF CONDUCT – DO's & 'DONT's**

The Commission has issued various instructions on observance of code of conduct from time to time. Important aspects of the code of conduct are reiterated below:

On Welfare schemes and governmental works:

1. **Announcement of new projects or programme or concessions or financial grants in any form or promises thereof or laying of foundation stones, etc., which have the effect of influencing the voters in favour of the party in power is prohibited.**

2. These restrictions apply equally to new schemes and also ongoing schemes. But it does not mean that in the case of national, regional and State utility schemes, which have already been brought up to the stage of completion, their utilization or functioning in public interest should be stopped or delayed. The coming into force of the Model Code of Conduct cannot be given as an excuse for not commissioning such schemes or allowing them to remain idle. At the same time, it should be ensured that the commissioning of such schemes is done by civil authority and without associating political functionaries and without any fanfare or ceremonies whatever, so that no impression is given or created that such commissioning has been done with a view to influencing the electorate in favour of the ruling party. If in doubt, a clarification should be obtained from Chief Electoral Officer/Election Commission of India.

3. It is further clarified that simply because a budget provision has been made for any particular scheme or the scheme has been sanctioned earlier or a reference to the scheme was made in the address of the Governor or the budget speech of the Minister it does not automatically mean that such schemes can be announced or inaugurated or otherwise taken up after the announcement of elections while the

Model Code of conduct is in operation, since they will clearly be intended to influence the voters. Such actions if undertaken will be considered a violation of the model code of conduct.

4. **No fresh sanctions for governmental schemes should be made. Review by political executive (Ministers etc.) and processing of beneficiary oriented schemes, even if ongoing, should be stopped till completion of elections. No fresh release of funds on welfare schemes and works should be made or contract for works awarded in any part of the state where election is in progress without prior permission of the Commission. This includes works under the Member of Parliament (including Rajya Sabha members) Local Area Development fund or MLAs / MLCs Local Area Development Fund, if any such scheme is in operation in the state.**

5. **No work shall start in respect of which even if work orders have been issued before the model code came into effect, if the work has actually not started in the field. These works can start only after the completion of election process. However, if a work has actually started, that can continue.**

6. There shall be no bar to the release of payments for completed work(s) subject to the full satisfaction of the concerned officials.

7. Commission does not refuse approval for schemes undertaken for tackling emergencies or unforeseen calamities like providing relief to people suffering from drought, floods, pestilences, other natural calamities or welfare measures for the aged, infirm etc. In these matters, however, prior approval of the Commission should be taken and all ostentatious functions should be strictly avoided and no impression should be given or allowed to be created that such welfare measures or relief and rehabilitation works are being undertaken by the Government in office so as to influence the electors in favour of the party in power which at the same time will adversely affect the prospects of the other parties.

<u>On Transfers and posting of officials:</u>

The Commission directs that there shall be a total ban on the transfer of all officers/officials connected with the conduct of the election. These include but are not restricted to: -

(i) The Chief Electoral Officer and Additional/Joint/Deputy Chief Electoral Officers;

(ii) Divisional Commissioners;

(iii) The District Election Officers, Returning Officers, Assistant Returning Officers and other Revenue Officers connected with the Conduct of Elections;

(iv) Officers of the Police Department connected with the management of elections like range IGs and DIGs, Senior Superintendents of Police and Superintendents of Police, Sub-divisional level Police Officers like Deputy Superintendents of Police and other Police officers who are deputed to the Commission under section 28A of the Representation of the People Act, 1951;

(v) Other officers drafted for election works like sector and zonal officers, Transport cell, EVM cell, Poll material procurement & distribution cell, Training cell, Printing Cell etc. Senior officers, who have a role in the management of election in the State, are also covered by this direction.

(vi) The transfer orders issued in respect of the above categories of officers prior to the date of announcement but not implemented till the time when model code came into effect should not be given effect to without obtaining specific permission from the Commission.

(vii) This ban shall be effective till the completion of the election process.

(viii) In those cases where transfer of an officer is considered necessary on account of administrative exigencies, the State Government may, with full justification, approach the Commission for prior clearance.

(ix) **No appointments or promotions in Government / Public Undertakings shall be made during this period, without prior clearance of the Commission.**

<u>On Misuse of Official Machinery:</u>

1. **Official vehicles cannot be used for electioneering work. 'Official Vehicles' include all vehicles belonging to the -**

- Central Government,
- State Government,
- Public Undertakings of the Central and State Government,
- Joint Sector Undertakings of Central and State Government,
- Local Bodies, Municipal Corporations, Municipalities,
- Marketing Boards (by whatever name known),
- Cooperative Societies,
- Autonomous District Councils, or
- Any other body in which public funds, howsoever small a portion of the total, are invested, and also
- Vehicles belonging to the Ministry of Defense and the Central Police Organizations under the Ministry of Home Affairs and State Governments.

2. **It is open for a minister of the Union or State to make private visits using his or her private vehicle(s). For such private visits, the official personal staff of the ministers shall not accompany them. However, if a Minister is traveling in some emergent situation, out of his HQ on purely official business, which cannot be avoided in public interest, then a letter certifying to this effect should be sent from the Secretary concerned of the Department to the Chief Secretary of the state where the Minister intends to visit, with a copy to the Commission. During such tour, the Chief Secretary may provide the Minister with Government vehicle and accommodation and other usual courtesies for his official trip. However, immediately preceding or during or in continuation of such an official tour, no minister can carry out or combine any election campaign or political activity. The Commission will keep watch on such arrangements in due consultation with its Chief Electoral Officer.**

3. No Minister, whether of union or state, will summon any election related officer of the constituency or the State, for any official discussions during the period of elections commencing with the announcement of the elections. Only exception will be when a Minister, in his capacity as in charge of the department concerned, or a Chief Minister undertakes an official visit to a constituency, in connection with failure of law and order or a natural calamity or any such emergency which requires personal presence of such Ministers/Chief Ministers for the specific purpose of supervising review/salvage/relief and such like purpose.

4. **Ministers are entitled to use their official vehicles only for commuting from their official residence to their office for official work provided that such commuting is not combined with any electioneering or any political activity.**

5. **Ministers, whether of the Union or State, shall not combine in any manner their official tours with election work.**

6. **Whether on a private or official visit, no pilot car(s) or car(s) with beacon lights of any colour or car(s) affixed with sirens of any kind shall be used by any political functionary, even if the State administration has granted him a security cover requiring presence of armed guards to accompany him on such visit. This is applicable whether the vehicle is government owned or private owned.**

7. Any official who meets the Minister on his private visit to the constituency where elections are being held shall be guilty of misconduct under the relevant service rules; and if he happens to be an official mentioned in Section 129 (1) of the Representation of People Act, 1951, he shall also

be additionally considered to have violated the statutory provisions of that Section and liable to penal action provided thereunder.

<u>OTHER 'DOS AND DON'TS'</u> FOR THE GUIDANCE OF THE CANDIDATES AND POLITICAL PARTIES TO BE OBSERVED FROM THE ANNOUNCEMENT OF AN ELECTION AND UNTIL THE COMPLETION OF THE PROCESS OF ELECTION.

The Commission has drawn up a list of 'dos' and 'don'ts' to be followed by candidates and political parties after the announcement of elections and till the completion of the process of elections. The Commission has directed that this be given the widest possible publicity and its contents brought to the knowledge of all candidates and political parties including in the official language of the State.

It must be clearly brought to the notice of candidates and political parties that the list of Dos' and Donts' is only illustrative and not exhaustive and is not intended to substitute or modify other detailed directions/instructions on the above subjects, which must be strictly observed and followed.

<u>DO'S'</u>

(1) **Ongoing programmes, which actually started in the field before the announcement of elections may continue.**

(2) Relief and rehabilitation measures to the people in areas affected by floods, drought, pestilence, and other natural calamities, can commence and continue.

(3) Grant of cash or medical facilities to terminally or critically ill persons can continue with appropriate approvals.

(4) Public places like maidans must be available impartially to all parties/contesting candidates for holding election meetings. So also use of helipads must be available impartially to all parties/contesting candidates, to ensure a level playing field.

(5) Criticism of other political parties and candidates should relate to their policies, programme, past record and work.

(6) The right of every individual for peaceful and undisturbed home life should be fully safeguarded.

(7) **The local police authorities should be fully informed of the venue and time of the proposed meetings well in time and all necessary permissions taken.**

(8) If there are any restrictive or prohibitory orders in force in the place of the proposed meeting, they shall be fully respected. Exemption, if necessary, must be applied for and obtained well in time.

(9) **Permission must be obtained for the use of loudspeakers or any other such facilities for the proposed meetings.**

(10) The assistance of the police should be obtained in dealing with persons disturbing meetings or otherwise creating disorder.

(11) The time and place of the starting of any procession, the route to be followed and the time and place at which the procession will terminate should be settled in advance and advance permissions obtained from the police authorities.

(12) The existence of any restrictive orders in force in the localities through which the procession has to pass should be ascertained and fully complied with. So also all traffic regulations and other restrictions.

(13) The passage of the procession must be without hindrance to traffic.

(14) Cooperation should be extended to all election officials at all times to ensure peaceful and orderly poll.

(15) All Workers must display badges or identity cards.

(16) Unofficial identity slips issued to voters shall be on plain (white) paper and not contain any symbol, name of the candidate or name of the party.

(17) Restrictions on plying of vehicles during the campaign period and on poll day shall be fully obeyed.

(18) (Except voters, candidates and their election/polling agents), only persons with a specific valid authority letter from the Election Commission can enter any polling booth. No functionary however highly placed (e.g. Chief Minister, Minister, MP or MLA etc) is exempt from this condition.

(19) Any complaint or problem regarding the conduct of elections shall be brought to the notice of the observer appointed by the Commission/Returning Officer/Zonal/Sector Magistrate/Election Commission of India.

(20) Directions/orders/instructions of the Election Commission, the Returning Officer, and the District Election Officer shall be obeyed in all matters related to various aspects of election.

(21) Do leave the constituency after the campaign period is over if you are not a voter or a candidate or candidate's election agent from that constituency.

<u>DON'Ts</u>

(1) Any and all advertisements at the cost of the public exchequer regarding achievements of the party/Government in power as prohibited.

(2) No Minister shall enter any polling station or the place of counting, unless he or she is a candidate or as a voter only for voting.

(3) Official work should not at all be mixed with campaigning/electioneering.

(4) No inducement, financial or otherwise, shall be offered to the voter.

(5) Caste/communal feelings of the electors shall not be appealed to.

(6) No activity, which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes, communities or religious or linguistic groups shall be attempted.

(7) No aspect of the private life, not connected with the public activities, of the leaders or workers of other parties shall be permitted to be criticized.

(8) Other parties or their workers shall not be criticized based on unverified allegations or on distortions.

(9) Temples, mosques, churches, gurudwaras or any place of worship shall not be used as places for election propaganda, including speeches, posters, music etc., on electioneering.

(10) Activities which are corrupt practices or electoral offences such as bribery, undue influence, intimidation of voters, personation, canvassing within 100 meters of a polling station, holding of public meetings during the period of 48 hours ending with the hour fixed for the close of the poll and conveyance of voters to and from polling stations are prohibited.

(11) Demonstrations or picketing before the houses of individuals by way of protesting against their opinion or activities shall not be resorted to.

(12) Subject to the local laws, no one can make use of any individual's land, building, compound wall, vehicles etc. for erecting flag staffs, putting up banners, pasting notices or writing slogans etc. without specific permission of the owner (to be shown to and deposited with the District Election Officer).

(13) No disturbances shall be created in public meetings or processions organised by other political parties or candidates.

(14) Processions along places at which another party is holding meetings shall not be undertaken.

(15) Processionists shall not carry any articles, which are capable of being misused as missiles or weapons.

(16) Posters issued by other parties and candidates shall not be removed or defaced.

(17) Posters, flags, symbols or any other propaganda material shall not be displayed in the place being used on the day of poll for distribution of identity slips or near polling booths.

(18) Loudspeakers whether static or mounted on moving vehicles shall not be used either before 6 a.m. or after 10a.m. and without the prior written permission of the authorities concerned.

(19) Loudspeakers shall also not be used at public meetings and processions without the prior written permission of the authorities concerned. Normally, such meetings/processions will not be allowed to continue beyond 10.00 p.m. in the night and will be further subject to the local laws, local perceptions of the security arrangements of the area and other relevant considerations like weather conditions, festival season, examination period, etc.

(20) No liquor should be distributed during elections.

(21) **On the day of the poll, no person who has been assessed to be having a security threat and therefore given official security shall enter the vicinity of a polling station premise (within 100 meters) with his security personnel. Further, on the day of the poll no such person shall move around in a constituency with his security personnel. If the person provided with official security happens to be a voter also, then he or she shall restrict his / her movement - accompanied by security personnel, to voting only.**

(22) **No person who has been assessed to be having a security threat and therefore provided official security or who has private security guards for himself, shall be appointed as an election agent or polling agent or counting agent.**

NOTE: The above list of Do's' and Don'ts' is only illustrative and not exhaustive and is not intended to substitute any other detailed orders, directions/instructions on the above subjects, which must be strictly observed and followed.

The clarification/approval of the Election Commission of India/Chief Electoral Officer of your State should be obtained in cases of doubt.

Please acknowledge the receipt of this letter.

Your's faithfully,

Sd/-
(Jai Priye Prakash)
Deputy Election Commissioner